राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1586/2008/टोंक

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता, कोटा। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गिर्राज ऑयल इण्डस्ट्रीज़, मालपुरा,
जिला–टोंक। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.06.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जो अपील संख्या 25/वेट/2007–08 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति ₹66,945/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया गाय है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकार द्वारा दिनांक 30.06.2007 को वाहन संख्या आर.जे.–14–1जी–3963 जांच हेतु रोका गया । वाहन में परिवहनीत माल "200 बोरी गेहूँ" जो कि मालपुरा मण्डी के बाहर से भिन्न–भिन्न गोदामों से भरकर कोटा दाल मिल, कोटा परिवहनीत किया जा रहा था, के संबंध में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स दिव्य रोड लाईन्स, मालपुरा टोंक द्वारा जारी बिल्टी क्रमांक 1711 दिनांक 29.06.2007, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक 08 दिनांक 29.06.2007 प्रेषिति मैसर्स कोटा दाल मिल, कोटा व कृषि उपज मण्डी समिति का निर्यात प्रतिवेदन क्रमांक 98 दिनांक 29.06.2007 वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच बाद माल के इन्वॉयस को संदिग्ध होना मानते हुये प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को व्यवहारी की बिल बुक एवं

लगातार.....2

नियमित लेखा पुस्तकों से सत्यापन करवाने हेतु माल को मय वाहन अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 76(5)(ए) के तहत् निरूद्ध कर, अधिनियम की धारा 76(2)(6) के तहत् नोटिस जारी किया गया । जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से श्री कल्याणमल शर्मा, व्यवसाय प्रबंधक ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त चैकिंग वाहन में परिवहनित माल के साथ पाये गये बिल का प्रत्यर्थी व्यवहारी की बिल बुक में उपलब्ध बिल की कार्बन प्रति से मिलान करने पर दोनों में काफी अन्तर पाया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से दो समानान्तरण बिल बुक संधारित की जा रही है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का कहना है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बोगस बिल बुक से जारी बिल के साथ माल का परिवहन कर अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंधन किये जाने के लिये सशक्त अधिकारी व्यवहारी के विरूद्व अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना विधिक एवं उचित था। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित किये गये निर्णय दिनांक 03.08. 2007 (2007) 18 टैक्स अपडेट 321,** का हवाला देते हुए कथन किया कि उनके उक्त निर्णय के अनुसार अधिनियम की धारा 76(2) के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में व्यवहारी का आपराधिक आशय आवश्यक अंश नहीं है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ बिल्टी एवम् इन्वॉयस मौजूद थे तथा इन्वॉयस में माल का पूर्ण विवरण, कीमत अंकित थे एवम् 4 प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया हुआ था। माल क्रेता एवं

लगातार.....3

विक्रेता दोनों ही पंजीकृत व्यवहारी है तथा जारी इन्वॉयस में क्रेता व्यवहारी के "टिन" भी अंकित किये हुए थे। इस प्रकार परिवहनित माल के संबंध में जारी इन्वॉयस में कोई त्रुटि नहीं थी और न ही प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवचंन की कोई मंशा थी। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का यह भी कथन है कि सशक्त अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा बिल बुक व लेखा पुस्तकें पेश कर माल के साथ उपलब्ध बिल बुक की ऑफिस कॉपी से सत्यापन करवा दिया गया तथा इस संबंध में क्रेता व्यवहारी से भी जांच करने का अनुरोध किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा माल के साथ उपलब्ध बिल एवं ऑफिस कॉपी में कोई अन्तर नहीं होने के बावजूद दोनों मे अन्तर होना मानकर व्यवहारी के दो समानान्तर बिल बुक संधारण करना मानते हुए व्यवहारी के विरूद्व शास्ति का आरोपण कर दिया गया। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का यह भी कहना है कि सशक्त अधिकारी को माल के साथ उपलब्ध बिल के संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने पर उनके द्वारा क्रेता व्यवहारी से अथवा अन्यथा जांच कर बिल को असत्य/बोगस प्रमाणित किये बिना केवल संदेह के आधार पर शास्ति आरोपण करना न्यायसंगत एवं उचित नही था। विद्वान अभिभाषक ने विशिष्ट रूप से कथन किया राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 38 के अनुसार इन्वॉयस तैयार कर, उक्त की एक प्रति रखे जाने का प्रावधान है तथा कार्बन प्रति रखना आवश्यक नहीं है। अतः व्यवहारी के परिवहनित माल के साथ वक्त जांच वाहन चालक के पास अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के विधिक प्रावधानों के अनुसार वांछित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित की शास्ति पूर्णतया अनुचित एवं अविधिक होने से अपास्त योग्य है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में वाहन में परिवहनीत माल के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों को अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी इन्वॉयस कमांक 08 दिनांक 29.06.2007 बोगस मानते हुये उक्त को संधारित बिल बुक व लेखा पुस्तकों से सत्यापन हेतु नोटिस जारी किया गया । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर विवादित माल के इन्वॉयस की प्रत्यर्थी व्यवहारी की बिल बुक की ऑफिस कॉपी/कार्बन कॉपी की छाया प्रति पत्रावली पर उपलब्ध

लगातार.....4

होना नहीं पाया गया। माल के रिकार्ड में उपलब्ध इन्वॉयस कमांक 08 दिनांक 29.06.2007 की छाया प्रति में प्रत्यर्थी व्यवहारी एवं क्रेता व्यवहारी के टिन नम्बर, माल का पूर्ण विवरण, दर एवं मूल्य अंकित है तथा माल के मूल्य पर 4 प्रतिशत वेट वसूल किया जाकर विक्रेता व्यवहारी के हस्ताक्षर भी किये हुए है। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ उपलब्ध उक्त इन्वॉयस का व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिल की ऑफिस कॉपी में से मिलान करने पर दोनों में क्या अन्तर पाया गया एवं मिलान नहीं होने के कारण अथवा आधार का स्पष्ट उल्लेख ना तो व्यवहारी को जारी किये गये नोटिस दिनांक 30.06.2007 में किया गया है और ना ही पारित शास्ति आदेश में इस संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख अथवा विवरण ही अंकित है। इसी प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किये गये शास्ति आरोपण के आदेश में परिवहनित माल के साथ उपलब्ध बिल के सत्यापन बाबत माल के क्रेता व्यवहारी अथवा अन्यथा रिकॉर्ड से जांचकर वक्त जांच प्रस्तुत किये गये इन्वॉयस को असत्य/बोगस प्रमाणित किये जाने संबंधी कोई निष्कर्ष भी अंकित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा केवल संदेह के आधार पर परिवहनित माल के साथ इन्वॉयस को असत्य/बोगस मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के शास्ति आरोपण के अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई हैं।

परिणामतः अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

5.6.2014

(मदन लाल)
सदस्य